एनटीपीसी NTPC
एक महारत्न कम्पनी

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

रिहंद/Rihand

संदर्भ संख्या -070/एचआर-वन भूमि/2018

दिनांक- 25.10.18

(उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या -7314/14-03-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनांक-13.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व के भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकादार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाएगें और ऐसा किए जाने पर संबन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी के देखरेख में कराए तथा इस संबंध में बने गए मुनारे आदि की भी देख-भाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा के आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परंतु प्रतिबंध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जंतुओं के स्वछंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग /जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों /पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नि:शुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" /लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियंता , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पर्वतीय क्षेत्र) पौडी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में यह भी प्रमाण पत्र दी जायेगी कि अब मार्ग बनाना अथवा मार्गों को मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा , बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

के. श्रीनिवास मूर्ति/K. S. MURTHY
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ. रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.)-231 223, टेली./ Tel. : कार्या. / 05446-242408
Rihand Super Thermal Power Project, P.O.-Rihand Nagar, Distt.-Sonebhadra (U.P.)-231 223, Fax : 05446-242008/243138

12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कारी निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्धयुत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खंभों को ऊंचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है , तो न्यनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना अवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।
17. उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक स्थानांतरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तों का पालन दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मै के0 एस0 मूर्ति, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

28/9/18

(के0 एस0 मूर्ति)

अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

के. श्रीनिवास मूर्ति/K. S. MURTHY
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
एनटीपीसी लि० रिहन्द/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.)